रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-127 REGISTERED NO. D. (DN.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3 - Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 1988/पौष 23, 1909
No. 21] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 1988/PAUSA 23, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 13 जनवरी 1988

शुद्धि-पत्र

सा का नि 26(अ)—भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड-3 उपखण्ड (1) (असाधारण) में जी एस आर 470(अ) में 25 जून 1984 का प्रकाशित भारत सरकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग की अधिसूचना में पृष्ठ 1, पंक्ति 3-5 पर "केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम लागू होने की तारीख 25 जून, 1984 निर्धारित करती है" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एशियाटिक सोसायटी अधिनियम

1984 (1984 का 5) के अन्तर्गत बनाए गए और भारत सरकार के राजपत्र के भा II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) (असाधारण) में जी.एस.आर. 472(ई) में 25 जून, 198 को प्रकाशित किए गए नियमों के लागू होने की तारीख 25 जून, 1984 निर्धारित करते हैं" शब्द पढ़े जाएं ।

[सं. एफ. 8-16/84-सी. एच.-डेस्क
आर०सी० त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

(Department of Culture)

New Delhi, the 13th January, 1988

CORRIGENDUM

G.S.R. 26(E).—In the Notification of the Government of India, Ministry Education and Culture, Department of Culture, published in the Gazette India, Part II Section 3 Sub-section (i) (Extra-ordinary) of June 25, 1984 G.S.R. 470(E)—at page 1, line 3-5, for the words "the Central Governme hereby appoints the 25th June, 1984 as the date on which the aforesaid A shall come into force" read "the Central Government hereby appoints t 25th June, 1984 as the date on which the rules framed under the Asiatic Socic Act, 1984 (5 of 1984) and published in the Gazette of India, Part II Sect 3—Sub-section (i), (Extra-ordinary) at G.S.R. No. 472(E) of June 25, 19 shall come into force".

[No. F. 8-16|84-CH. DESI
R. C. TRIPATHI, Jt. Sec

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988